सार-समाचार

देवर्षि नारद जयंती पर गोष्ठी आज

अजमेर(निसं)। देव ऋषि नारद जयंती के उपलक्ष्य में नारद जयंती समारोह समिति, अजमेर द्वारा पत्रकार गोष्ठी का आयोजन 9 मई शनिवार को रसोई बैंक्विट हॉल में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल कुलगुरु, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजयमेरु और मुख्य अतिथि डॉ. सत्यनारायण कुमावत राजस्थान क्षेत्र सह संयोजक प्रज्ञा प्रवाह, राजस्थान रहेंगे। इस संबंध में नारद जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष सुनील दत्त जैन ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर के प्रबुद्ध जन, स्तंभकार, ब्लॉगर, पत्रकार, मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर, यूट्यूबर, पत्रकारिता के विद्यार्थी, महिला पत्रकार इत्यादि के लिए नारद जयंती के अवसर पर एक पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठी का उद्देश्य पत्रकार बंधु नारद जी के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के सर्व वर्ग के हितार्थ घटनाओं को सामने लाएं, जिसमें जनकल्याण एवं लोक कल्याण की भावना हो। साथ ही नारद जी के संदर्भ में एवं आज के परिपेक्ष में पत्रकारिता जगत में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी।

धोलादाता गांव के पांच युवाओं का भारतीय थल सेना में चयन

मसूदा, (निसं)। निकटवर्ती ग्राम पंचायत धोला दाता के पांच युवाओं का एक साथ भारतीय थल सेना में चयन होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गांव को अब आर्मी हब के रूप में देखा जा रहा है। अग्निवीर भर्ती में चयनित युवाओं में राजपाल सिंह पुत्र शमशेर सिंह, साबिर पुत्र समदा, शाहरुख पुत्र लक्ष्मण, शमशेर पुत्र लक्ष्मण तथा आरिफ पुत्र चेतन शामिल हैं। सभी युवाओं का अलग-अलग रेजिमेंट में चयन हुआ है। विशेष बात यह है कि चयनित सभी युवाओं के पिता भी भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हैं। इससे गांव में गर्व और उत्साह का माहौल और अधिक बढ़ गया है। एक साथ पांच युवाओं के सेना में चयन की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। युवाओं को माल्यार्पण कर साफा पहनाया गया तथा मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि युवाओं की मेहनत और अनुशासन अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा है। गांव के बुजुर्गों ने इसे धोलादाता के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।

वीर सपूत शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी

ब्यावर (निसं)। लगेतखेड़ा के वीर सपूत शहीद युवराज सिंह के देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने पर उनके पार्थिव शरीर के ब्यावर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी, ब्यावर विधानसभा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सैनिक विश्रांति गृह, छावनी पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र एवं पुष्प गुच्छ अर्पित कर नमन किया तथा उनकी वीरता और देशभक्ति को स्मरण किया। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व विधायक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और शहीद युवराज सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए।कार्यकर्ताओं ने शहीद के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा राष्ट्र उनके इस अद्वितीय बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।

विदेशी नागरिकों की सूचना छिपाना पड़ेगा भारी

अजमेर,(निसं)। विदेशी नागरिकों के आवागमन एवं ठहराव से संबंधित इमीग्रेशन एवं फोरेनर्स अधिनियम 2025 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस एवं विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा सख्त निगरानी रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि निर्धारित समयावधि में विदेशी नागरिकों की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं करवाने वाले होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में शहर के हरिभाऊ उपाध्याय में न्यू मारवाड़ी गेस्ट हाउस संचालक द्वारा विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना निर्धारित समय में फार्म-सी पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पुलिस थाना गंज में इमीग्रेशन एवं फोरेनर्स अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करवाया गया है। उन्होंने बताया कि होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों के लिए विदेशी नागरिकों के आगमन की सूचना 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य है।

आम सूचना

हमारी साझेदारी फर्म मेसर्स गणपति एग्रो फ्यूल्स, रजि.कार्यालय 391 मित्र निवास कॉलोनी रोटरी क्लब के पास किशनगढ़ अजमेर राजस्थान, फर्म रजिस्ट्रेशन न. RF/AJM/2023/385 है में हम निम्न 2 साझेदार थे (1) श्री रोहित कुमावत पुत्र श्री अरविन्द कुमावत, किशनगढ़ (2) श्री ललित कुमावत पुत्र श्री अरविन्द कुमावत, किशनगढ़, इस फर्म में 8 अप्रैल 2026 को दो साझेदार (1) श्री प्रदीप कुमार कुमावत पुत्र श्री गोपाल कुमावत, किशनगढ़ (2) श्री प्रहलाद धाकड़ पुत्र श्री शंकरलाल धाकड़, नीमच, को साझेदारी में सम्मिलित किया गया है। अब इस फर्म में हम चार साझेदार (1) श्री रोहित कुमावत पुत्र श्री अरविन्द कुमावत, किशनगढ़ (2) श्री ललित कुमावत पुत्र श्री अरविन्द कुमावत, किशनगढ़, (3) श्री प्रदीप कुमार कुमावत पुत्र श्री गोपाल कुमावत, किशनगढ़, (4) श्री प्रहलाद धाकड़ पुत्र श्री शंकरलाल धाकड़, नीमच है। उक्त परिवर्तन में किसी व्यक्ति संस्था को ऐतराज हो तो 7 दिवस में सूचित करें।

गोल्ड मेडलिस्ट छात्र- छात्राओं का सम्मान

ब्यावर(निसं)। श्री वर्द्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान भंवरलाल गोठी पब्लिक सी. सै. स्कूल ब्यावर में विगत वर्ष आयोजित 'एस ओ एफ ओलंपियाड' में गोल्ड मैडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

विद्यालय प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता विश्व भर के स्कूली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषय- गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी में अपनी प्रतिभा बुद्धि और संज्ञानात्मक कौशल परिचय हेतु प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है इस प्रतियोगिता में विद्यालय के लगभग 50 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में भाग लेकर गोल्ड मैडल प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया।

-आम सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार कमल कान्त बाथरा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल बाथरा जाति तेली निवासी कोटड़ा पुष्कर रोड अजमेर भूखण्ड सं. बी 116 जिसका क्षेत्रफल 210 वर्गगज 175.50 वर्ग मीटर है जो कि हरिभाउ उपाध्याय नगर मुख्य योजना नगर सुधार न्यास अजमेर में स्थित है जिसका मालिक स्वामी काबिज मेरा पक्षकार है जिसके संबंध में इकरारनामा बाबत सम्पूर्ण बैचान नामा, मुखत्यारनामा आम, वसीयतनामा राजेश कुमार सोनी पुत्र त्रिलोक चन्द सोनी जाति जैन निवासी पी 5 पार्श्वनाथ कॉलोनी आतेड़ रोड वैशाली नगर अजमेर के पक्ष में निष्पादित किया था उक्त सभी दस्तावेजात मेरा पक्षकार निरस्त करता है कोई भी व्यक्ति, संस्था, बैंक इत्यादि उक्त भूखंड के संबंध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार नहीं करे सभी संव्यवहार गैर कानूनी शून्य माने जायेगे यदि कोई व्यक्ति संस्था बैक उक्त दस्तावेजात के आधार पर कोई संव्यवहार करता है तो उसके विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत 420, 406, 467, 468,475, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी। -भवदीय - प्रदीप कुमार शर्मा, एडवोकेट, अजमेर मो.-9828124496

कार्यालय ग्राम पंचायत गांगवा पंचायत समिति परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

क्रमांक : ग्रा.पं./2025-26/16 खुली ई-निविदा सूचना 01/2026-27 दिनांक-05-5-26

राज्यपाल महोदय की ओर से ग्राम पंचायत गांगवा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमन 2013 के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज नियमन 1996 के नियमन 181 के तहत पंचायतीराज विभाग, सार्व. निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्व. अभि. विभाग नगर निगम एवं राज्य सरकार के अधिकृत संघठनों में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदकों से खुली ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। खुली ई-निविदा में जमा कराये जाने योग्य शुल्कों की राशि व जमा करवाने का माध्यम तथा अन्य शर्ते एवं ई-निविदा में सम्पादित करवाये जाने वाले कार्यो की राशि तथा अन्य विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत गांगवा मुख्यालय में कार्यालय समय में एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर अवलोकन की जा सकती है।

NIB- PMJ2527A0057

UBN- PMJ2627WSOB00057

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गांगवा, पं.स. परबतसर, डीडवाना-कुचामन

प्रशासक, ग्राम पंचायत गांगवा, पं.स. परबतसर, डीडवाना-कुचामन

सिंधी भाषा में चिकित्सा शब्दावली निर्माण की ऐतिहासिक पहल, 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन

अजमेर(निसं)। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के तत्वावधान में जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हो गया। कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं तकनीकी ज्ञान को सशक्त बनाना था। कार्यशाला के प्रथम चरण में 3 हजार महत्वपूर्ण अंग्रेजी एवं हिंदी तकनीकी चिकित्सा शब्दों की सिंधी भाषा में शब्दावली तैयार की गई। इसे सिंधी भाषा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।

सिंधी समाज के योगदान की सराहना: समापन समारोह के मुख्य अतिथि एसपीसी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मनोज भेरवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि मेडिकल डिक्शनरी निर्माण के इस

जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हुई सम्पन्न।

ऐतिहासिक कार्य में एसपीसी कॉलेज के वर्तमान एवं पूर्व सिंधी भाषा विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सांवरिया ने 5 दिनों में 3 हजार मेडिकल शब्दों की सिंधी शब्दावली तैयार होने पर सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अजमेर का इतिहास गौरवशाली रहा है और सिंधी समाज का सिंध से लेकर भारत एवं विदेशों तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है।

एक वर्ष में 40 हजार शब्दावली तैयार करने का लक्ष्य: वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के सहायक निदेशक एवं योजना प्रभारी अधिकारी जय सिंह रावत ने कहा कि सभी विशेषज्ञों ने अत्यंत तल्लीनता और समर्पण के साथ कार्य किया है।

■ 3 हजार मेडिकल शब्दों की सिंधी शब्दावली तैयार, विशेषज्ञों का हुआ सम्मान

इसी गति से कार्य जारी रहा तो एक वर्ष में 40 हजार शब्दों की शब्दावली तैयार कर ली जाएगी।

विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव: कार्यक्रम की समन्वयक डॉ. दीपा थदानी ने व्यवस्थाओं का संचालन संभाला। इस दौरान डॉ. अरविंद खरे, डॉ. जीसी मीणा, डॉ. कमलेश तनवानी और डॉ. जयराम रावतानी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इस अभिनव कार्य से जुड़े अनुभव साझा किए। शब्दावली निर्माण का यह कार्य उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहेगा। उन्होंने डॉ. दीपा थदानी और डॉ. पुष्पा कोडवानी को विशेष बधाई दी।समारोह में सभी अतिथियों का झूलेलाल की प्रतिमा एवं पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित: कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चिकित्सा एवं भाषा विशेषज्ञों को शब्दावली आयोग द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित विशेषज्ञों में डॉ. गुरुदास खिलनानी, डॉ. जयराम रावतानी, डॉ. कमलेश तनवानी, डॉ. महेंद्र खत्रा, डॉ. ज्योत्सना चांदवानी, डॉ. लाल थदानी, डॉ. मनोहर गुरनानी, डॉ. माया गुरनानी सहित एसपीसी राजकीय महाविद्यालय के सिंधी विभागाध्यक्ष डॉ. चंदर प्रकाश दादलानी, डॉ. हासो दादलानी, डॉ. परमेश्वरी पमनानी, डॉ. पुष्पा कोडवानी तथा डेटा विशेषज्ञ सुरेश श्रीचंदानी शामिल रहे।

विधायक भदेल ने 99.70 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास

अजमेर(निसं)। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माखुपुरा में डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट) कोष से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विद्यालय में लगभग 99.70 लाख रुपए की लागत से भवन मरम्मत कार्य एवं 5 नए कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक वातावरण: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनिता भदेल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों में पर्याप्त कक्ष-कक्षाओं और बेहतर भवन व्यवस्था से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के विकास और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन की मरम्मत के साथ-साथ नए कक्षा-कक्षों के निर्माण से विद्यार्थियों को बैठने की बेहतर व्यवस्था मिलेगी और पढ़ाई का वातावरण भी सुधरेगा। बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुए नए कमरों का निर्माण आवश्यक था।

लंबे समय से महसूस की जा रही थी आवश्यकता: स्थानीय लोगों एवं विद्यालय प्रशासन द्वारा लंबे समय से विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं और भवन मरम्मत की मांग की जा रही थी। विद्यालय के कई हिस्सों में मरम्मत की आवश्यकता थी, जिसके चलते विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब इस स्वीकृति के बाद विद्यालय परिसर में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।

विकास कार्य जल्द होंगे शुरू: शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत बजट से निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय परिवार में नए निर्माण कार्य होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक एवं सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा।

नवाचार युवा सम्मेलन 17 को

पुष्कर,(कासं)। श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति द्वारा नवाचार के रूप में समाज के युवाओं का प्रथम युवा सम्मेलन 17 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा, अध्यक्ष मोहनराज उपाध्याय लांपोलाई ने बताया कि युवा सम्मेलन में प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत समाज के प्रबुद्ध जनों का मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश समाज के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासरत युवाओं को प्राप्त होगा,प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को विशेष तरीके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही बताएं जाएंगे, युवा सम्मेलन तीन सत्रों में होगा, कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, समिति के कार्यक्रम संयोजक संदीप जोशी, वेंकटेश्वर प्रसाद शर्मा, ट्रस्ट समिति सदस्य व समाज बंधु अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक-एफ-2() सा.प्र./ मदसविवि/2026/4007 दिनांक: 7.05.2026

ई-निविदा सूचना सं.71

UBN No. MDU2627SLRC0003

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में वर्ष 2026-27 व 2027-28 दो वर्ष के लिये परीक्षात्मक एवं अन्य उपयोग हेतु बस, मिनी बस, बन्द बॉडी मिनी ट्रक एवं छोटे वाहन किराये पर उपलब्ध कराने की दर संविदा हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, तिथियां व अन्य समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mdsuajmer.ac.in तथा राज्य सरकार की वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

-कुलसचिव

-आम सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारा श्रीमती तारा देवी साहू पत्नी स्व. श्री सोहन लाल साहू जाति तेली निवासी कोटड़ा पुष्कर रोड अजमेर का ग्रामा कोटड़ा के वर्किंग खसरा नम्बर 155 में स्थित आवासीय भूखण्ड 519 वर्ग गज जिसकी मालिक स्वामीनी काबिज मेरी पक्षकारा है जिसके संबंध में इकरारनामा बाबत सम्पूर्ण बैचान नामा, मुखत्यारनामा आम, वसीयतनामा राजेश कुमार सोनी पुत्र त्रिलोक चन्द सोनी जाति जैन निवासी पी 5 पार्श्वनाथ कॉलोनी आतेड रोड वैशाली नगर अजमेर के पक्ष में निष्पादित किया था उक्त सभी दस्तावेजात मेरी पक्षकारा निरस्त करती है कोई भी व्यक्ति, संस्था, बैंक इत्यादि उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार नहीं करे सभी संव्यवहार गैर कानूनी शून्य माने जायेगे यदि कोई व्यक्ति संस्था बैक उक्त दस्तावेजात के आधार पर कोई संव्यवहार करता है तो उसके विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत 420, 406, 467, 468,475, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी। -भवदीय - प्रदीप कुमार शर्मा, एडवोकेट, अजमेर मो.-9828124496

रेलवे स्टेशन पर शीतल जल सेवा

ब्यावर (निसं)। एकम आसरा चेरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में सेवा सेवानिवृत्त श्री सीमेंट कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शीतल जल सेवा का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए स्टेशन पर आने वाली विभिन्न ट्रेनों के कोच में जाकर यात्रियों को ठंडा एवं शीतल जल पिलाकर सेवा कार्य किया गया। संस्था के महासचिव डी.के. जैन एवं महेश बासरे ने बताया कि संस्था समय-समय पर परोपकार, सेवा एवं समर्पण की भावना से सामाजिक कार्य करती रहती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सभी सदस्य समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी माह पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जाएंगे।

माखुपुरा क्षेत्र में रोड लाइट लगाने की मांग तेज, राजकुमार चौरसिया ने प्रशासन को लिखा पत्र

अजमेर(निसं)। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार चौरसिया ने माखुपुरा क्षेत्र में सड़क प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर नगर निगम उपायुक्त, संभागीय आयुक्त तथा राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र में 15 नई रोड लाइटें लगवाने की मांग उठाई है। राजकुमार चौरसिया ने बताया कि माखुपुरा क्षेत्र में लंबे समय से पर्याप्त रोड लाइट व्यवस्था नहीं होने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय क्षेत्र में अंधेरा रहने से राहगीरों, महिलाओं, बुजुर्गों और विद्यार्थियों को आवागमन में दिक्कतें होती हैं। साथ ही दुर्घटना और असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है।

■ चार वर्षों से लंबित मांग पर जताई नाराजगी

चार साल से कर रहे हैं मांग, नहीं हुई सुनवाई: चौरसिया ने कहा कि क्षेत्रवासियों की ओर से पिछले चार वर्षों से लगातार रोड लाइट लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि माखुपुरा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों और अंधेरे वाले स्थानों पर जल्द से जल्द 15 रोड लाइटें लगाई जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके।

क्षेत्रवासियों में भी नाराजगी: माखुपुरा क्षेत्र के लोगों ने भी रोड लाइट व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय अंधेरे के कारण आए दिन परेशानी होती है और कई बार छोटे-मोटे हादसे भी हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण कि पृथ्वीराज नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या (1) सी-196 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (2) सी-197 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (3) एफ-204 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज के आवंटी/अन्तरिति रंगलाल पुत्र स्व. दूदा चीता निवासी चौरसियावास रोड वैशाली नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 11/4/2017 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः 1. श्रीमती धापू पत्नि स्व. रंगलाल (फौत) 2. श्रीमती सोहनी पुत्री स्व. रंगलाल पत्नि गुलाब (काशीपुरा) 3. श्रीमती समीदा पुत्री स्व. रंगलाल पत्नि नब्बी बक्श (पाली) 4.श्रीमती अनीता पुत्री स्व. रंगलाल पत्नि अमिन (पाली) 5. श्रीमती मेहमदू पुत्री स्व. रंगलाल पत्नि स्वरूप (खरवा) 6. आलम 7. रमजान 8. अकरम 9. नेनू 10. ईकबाल पुत्रगण स्व. रंगलाल निवासी अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार 1. आलम 2. रमजान 3. अकरम 4. नेनू 5. ईकबाल पुत्रगण स्व. रंगलाल निवासी चौरसियावास रोड वैशाली नगर अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 15.4.24 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

-योजना प्रभारी, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

जेएलएन अस्पताल में आग लगने की सूचना से मचा हड़कंप, बाद में निकली मॉकड्रिल

अजमेर(निसं)। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई, जब अस्पताल के आपातकालीन विभाग के पास संचालित पार्किंग क्षेत्र में आग लगने की सूचना फैली। सूचना मिलते ही सायरन बजाती हुई दमकल की गाड़ियां अस्पताल परिसर में पहुंचीं। अचानक दमकल वाहनों और कर्मचारियों की सक्रियता देखकर मरीजों और उनके परिजनों में भी कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बाद में सामने आया मॉक ड्रिल का मामला: मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और अस्पताल प्रशासन की गतिविधियों के बीच बाद में स्पष्ट हुआ कि यह कोई वास्तविक आगजनी की

■ आपातकालीन विभाग की पार्किंग में दमकल वाहनों के पहुंचने से अफरा-तफरी

घटना नहीं थी, बल्कि अस्पताल प्रशासन द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल थी। इस अभ्यास का उद्देश्य अस्पताल कर्मचारियों की आपात स्थिति में कार्य करने की क्षमता और सतर्कता को परखना था।

अस्पताल प्रशासन और चिकित्सक मौके पर पहुंचे: मॉकड्रिल की सूचना मिलते ही जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. अनिल सांवरिया सहित नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट चिकित्सक और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान आग लगने की स्थिति में मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने, दमकल विभाग को सहयोग देने और आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियों का परीक्षण किया गया।

कर्मचारियों की कार्य दक्षता जांचने के लिए किया गया अभ्यास: अस्पताल प्रशासन के अनुसार यह मॉकड्रिल विशेष रूप से इस उद्देश्य से आयोजित की गई थी कि आग जैसी आपदा की स्थिति में अस्पताल का स्टाफ कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से कार्य करता है। साथ ही कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना का भी प्रयास किया गया।

कार्यालय नगर पालिका आसीन्द जिला भीलवाडा राज.

Email:- npasind@gmail.com Ph.: 01480220123

क्रमांक : नपाआ/भू.शा./2025-26/429 दिनांक : 08/05/2026

उजरदारी सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका आसीन्द द्वारा फार्म हाउस भूखण्ड नीचे दर्शित भूखण्ड संख्या व साईज अनुसार लीज होल्ड आधार पर दिनांक 12.05.2026 से 18.05.2026 को प्रातः 11.30 बजे तक ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जावेंगे। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित भागीदारी शुल्क एवं अमानत राशि (प्रति भूखण्ड) **http://sso.rajasthan/gov.in/signin** पर जाकर स्वयं की SSO ID से ऑनलाईन जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते है। नकद राशि स्वीकार्य नहीं होगी।

क्र.सं.	योजना का नाम/स्थान	भूखण्ड संख्या	साईज पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	कुल क्षैत्रफल वर्गफिट (लम्बाई X चौडाई)	किस्म/प्रकार	नीलामी हेतू प्रारम्भिक बोली राशि	नीलामी के भाग लेने हेतू भूखण्ड के लिए जमा योग्य धरोहर राशि	प्रोसेसिंग व पंजीयन शुल्क प्रति भूखण्ड राशि
1	फार्म हाउस योजना चैनपुरा रोड आसीन्द	1					30767	फार्म हाउस	3609990	72200	1000
2		2					29728	फार्म हाउस	3488085	69762	1000

क.स.	नीलमी भागीदारी शुल्क (प्रति भूखण्ड)	1000.00 नॉन रिफेण्डेबल
1	ऑनलाईन भागीदारी शुल्क एवं अमानत राशि जमा कराने की दिनांक	दिनांक 12.05.2026 को प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 14.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक।
2	ई-नीलामी बोली प्रारम्भ करने की दिनांक एवं समय	दिनांक 12.05.2026 को प्रातः 06.00 बजे से
3	ई-नीलामी बोली समाप्ति की तिथि एवं समय	दिनांक 18.05.2026 को सायं 04.00 बजे तक

नीलामी शर्ते :-

1. भूखण्ड जहॉ है, जैसा है, के आधार पर नीलामी की जायेगी।
2. नगर पालिका की ई-नीलामी में भाग लेने हेतू बोलीदाता को पंजीकरण होना आवश्यक है।
3. इच्छुक बोलीदाता की अपनी स्वयं की एस0एस0ओ0 आई0डी0 होना अनिवार्य है। नीलामी बोलीदाता नीलामी भागीदारी शुल्क एवं अमानत राशि अपनी एस0एस0ओ0 आई0 डी0 से लॉगईन कर G2C App में LSG E-AUCTION लिंक पर अपनी प्रोफाईल बनाकर जमा करवाकर ही नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी से संबंधित समस्त विवरण वैबसाईट पर देखा जा सकता है।
4. भूखण्ड की ई-नीलामी में दो से अधिक प्रतिभागियों/बोलीदाताओ द्वारा नीलामी बोली में भाग लिये जाने पर ही नीलामी प्रारम्भ की जावेगी। प्रत्येक भूखण्ड की धरोहर राशि पृथक-पृथक जमा करानी होगी।
5. ई-ऑक्शन में अधिकतम दर ही स्वीकार की जावेगी। उपरोक्त वर्णित भूखण्डो की नीलामी बोली 1/- रू प्रति वर्गफिट के गुणांक में बढाकर लगाये जाने पर ही स्वीकार होगी। उदाहरण (2000, 2001, 2002, 2003..........)
6. यह भूमि विक्रय राजस्थान नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम एवं संशोधित नियम 2019 व उसके जारी परिपत्रों के अन्तर्गत की जा रही है। अन्य सभी राजकीय नियमो/आदेशो (समय-समय पर यथा संशोधित) की पालना केता को करना होगा तथा भविष्य में इस बाबत कोई नियम बनाये जायेगें तो वह उस भूखण्ड पर भी लागू होगें।
7. नीलामी की अन्तिम तिथि जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होगी उसे स्वीकृति पत्र/मांग पत्र जारी होने की दिनांक से तीन दिवसों के भीतर अपनी बोली की 15 प्रतिशत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त राशि जमा कराने में विफलता के कारण बोलीदाता द्वारा जमा करवायी गई अमानत राशि जब्त किया जावेगा और भूमि की नीलामी स्वचालित रूप से रद्द मानी जावेगी।
8. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि का समायोजन 15 प्रतिशत राशि जमा करवाते समय कर लिया जायेगा। सफल बोलीदाता को भूखण्ड की नीलामी राशि की शेष 35 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक से 120 दिनों के भीतर जमा करवाना अनिवार्य होगा। 120 दिवस के पश्चात 15 प्रतिशत दर से ब्याज नीलामी स्वीकृत करने की दिनांक से 06 माह के अन्दर जमा कराना अनिवार्य होगें।
9. सफल बोलीदाता की को शेष 50 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक से 180 दिवस के भीतर जमा करवाया जाना होगा। भूखण्ड नीलामी की उक्त निर्धारित अवधि में 50 प्रतिशत राशि जमा नही करवाये जाने पर सफल बोलीदाता को अगले 90 दिवस के भीतर 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराया जाना अनिवार्य हेगा। यदि सफल बोलीदाता के द्वारा अवधि बढोतरी के भीतर भी ब्याज सहित राशि जमा नही करवायी जाती है, तो उसके द्वारा जमा 15 प्रतिशत राशि को जब्त कर लिया जावेगा। व भूखण्ड की नीलामी स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
10. यदि सफल बोलीदाता डिमाण्ड नोटिस की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि जमा करवाता है, तो 01 प्रतिशत की बोली राशि में छूट प्रदान की जावेगी।
11. बोलीदाता द्वारा अगर स्वयं पर पंजीकरण नहीं करवाया जाता है अथवा पंजीकरण करवाने के पश्चात धरोहर राशि जमा नहीं करवायी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता होगी।
12. लीज राशि 10 वर्ष की एक मुश्त आवासीय के लिए आरक्षित दर (नजुल दर) का 2.50 प्रतिशत एवं व्यवसायिक के लिये आरक्षित दर (नजुलदर) का 5 प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान नगर पालिका नियमो के अन्तर्गत जमा करवाया जाना होगा। कॉर्नर भूखण्ड के लिए 10 प्रतिशत राशि नीलामी राशि के अतिरिक्त देय होगी।
13. नगर पालिका द्वारा भूखण्ड मौके पर जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में नीलामी किया जावेगा।
14. बोलीदाता ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व साईट विजिट कर सकते है।
15. ई-नीलामी हेतू किसी भी प्रकार की इन्टरनेट/सर्वर की समस्या अथवा आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी इन्द्राज होने पर नगर पालिका आसीन्द जिम्मेदारी नही होगा।

राज.संवाद/सी/26/2440 अधिशाषी अधिकारी

अजमेर दरगाह मंदिर विवाद में अदालत का बड़ा फैसला

अजमेर(निसं)। विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे को लेकर चल रहे बहुचर्चित मामले में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर (पश्चिम) ने बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी 1908 के तहत दायर विभिन्न प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए कई नए पक्षकारों को मामले में शामिल करने की अनुमति दी, जबकि कुछ आवेदनों को खारिज करते हुए संबंधित प्रार्थियों पर भारी कॉस्ट अधिरोपित की है। यह आदेश भगवान श्री संकटमोचन व अन्य बनाम दरगाह कमेटी अजमेर व अन्य, दीवानी वाद संख्या 66/2024 (सीआईएस संख्या 437/2024) में पारित किया गया। मामले को लेकर लंबे समय से धार्मिक, सामाजिक और कानूनी हलकों में चर्चा बनी हुई है। अदालत के ताजा आदेश के बाद यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

■ नए पक्षकार शामिल, 9 प्रार्थियों पर 2.70 लाख की कॉस्ट, 22 जुलाई को होगी अगली अहम सुनवाई

अदालत ने इन्हें बनाया पक्षकार : न्यायालय ने प्रार्थी संख्या 1 राजवर्धन सिंह परमार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें बतौर वादी संयोजित करने के आदेश दिए है। इसके अलावा प्रार्थी संख्या 5 मोइनिया फखरिया चिश्ती खुद्दाम ख्वाजा साहिब सैयदजादगान (पंजीकृत)दरगाह शरीफ अजमेर, 6 दीवान सैयद जैनुल आबेदीन तथा 11 अंजुमन यादगार चिश्तियां शेखजादगान खुद्दाम ख्वाजा साहिब रजिस्टर्ड त्रिपोलिया गेट दरगाह शरीफ के पास अजमेर जरिये अध्यक्ष शेखजादा अजीम मोहम्मद चिश्ती की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इन्हें बतौर प्रतिवादी शामिल करने के आदेश दिए गए है। 9 प्रार्थियों के आवेदन खारिज, भारी कॉस्ट लगाई: अदालत ने प्रार्थी संख्या 2 गुलाम दस्तगीर, 3 ए इमरान, 4 राज जैन, 7 पीर सैयद नफीस मियां, 8 प्रिंस सेन, 9 काजी मुनव्वर अली, 10 सैयद आरिफ अली चिश्ती तथा 12 काशिफ जुबैरी की ओर से दायर प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करते हुए प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये की कॉस्ट अधिरोपित की है।